ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-40/14

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
18.06.15	01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 416/2012 श्री गिरीश कुमार जायसवाल विरूद्ध कार्यपालन अभियंता (सं./सं.)संभाग म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. नरसिंहपुर तथा कनिष्ठ यंत्री (शहर) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. नरसिंहपुर में पारित आदेश दिनांक 29.9.2012 के विरूद्ध उपभोक्ता ने उक्त अभ्यावेदन दिनांक 29.12.2014 को प्रस्तुत किया है। 02 प्रारंभिक सुनवाई में यह पाया गया कि उपभोक्ता ने फोरम के आदेश से व्यथित होकर निर्धारित कालावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इस ओर उपभोक्ता का ध्यान दिलाने पर उसने इस आशय का आवेदन पेश किया कि उसने फोरम के आदेश के विरूद्ध नरसिंहपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था इसके कारण उसे विद्युत लोकपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतः इस देरी के लिए क्षमा किया जाए। 03 उपभोक्ता ने अपने आवेदन के साथ उचित फोरम के आदेश की प्रति संलग्न नहीं की थी। निर्देश दिये जाने के बाद उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के प्रकरण क्र 07/14 श्री गिरीश कुमार जायवाल विरूद्ध म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. में पारित आदेश दिनांक 21.11.2014 की छायाप्रति पेश की। यह आदेश आदेश पत्रिका में दिया गया है। आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की थी अपितु उक्त फोरम के	

समक्ष एक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया था। अतः जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश के विरूद्ध विधिक गल्ती से अथवा देरी से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता है।

04 उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। उसने शिकायत प्रस्तुत करने और संबंधित फोरम द्वारा पारित के आदेश से व्यथित होकर ऐसे फोरम के आदेश के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाना है, की जानकारी उपभोक्ता को थी। उपभोक्ता ने निर्धारित कालावधि में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश के विरूद्ध आवेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। उपभोक्ता द्वारा निर्धारित कालावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में की गई देरी को क्षमा किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं पाया जाता है। अतः देरी को क्षमा किये जाने के लिए उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जाता है।

05 उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश के विरूद्ध निर्धारित कालावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः देरी से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के कारण उसके अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1 आवेदक की ओर प्रेषित ।

2 अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।

3 फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल